मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

भालसिंह .... बनाम .... फुलाराम आदि

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 90/2023

निर्णय दिनांक :– 05.06.2023

वादी की ओर से वकील सुरजीत बिजारणीया की व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.06.23 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा डूंगरसिंहपुरा के खाता सं० 35/32 के खसरा सं० 197/2 की 1.254 है० बारानी, खसरा सं० 98/8 की 0.3410 है० बारानी कुल खसरा 2 की 1.5950 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 फुलाराम अकेले की बजाए वादी भालसिंह, प्रतिवादी सं० 1 फुलाराम, प्रतिवादी सं० 2 जगदीश, प्रतिवादी सं० 3 ईश्वर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी/कलक्टर

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner